कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122 E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक – 232 /23 एल॰ए॰ दिनांक 06/02/2018

सेवा में,

प्रभामीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :– राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्रांक दि॰ 16.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि FP/UK/ROAD/16517/2015 के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना संशोधित कर निम्नानुसार आपको प्रेषित की जा रही है :–

Sl. No.	E.D.S. R.O.	Reply by User Agency
1	If the project involve boundary of seven village as mentioned in the list of villages to be benefited and village wise bereakup provided with the proposal then proceedings of village level committee (VLC) meeting pretaining to other villages may also be furnished with the FRA certificate. The FRA certificate uploaded in online Part-I, only four VLC meeting proceedings are enclosed.	There are ony four revenue villages and other are Tok, so that these Villageses NOC uploaded in FRA Paper in Part I (K) & Additional Information. A soft copy is also attached.
2	The copy of FRA certificate uploaded in the designated place along with the annexure having area is only 4-235 ha while the area proposed for diversion is 4-088 ha. The State Govt. may correct the area in FRA certificate amd all annexure and revised FRA map upload in online Part-I.	Correction has been made and signed copy of FRA is now uploaded in Part-I (K) & Additional Information. A soft copy is also attached.
3	The CA scheme provided wth the proposed is for area area 7.84 ha while is should be for double the area proposed for diversion i.e. 8-176 ha area. The State Govt. may provide revised CA scheme.	Corrected Map has been uploaded in Part-I (L) & Additional Information. A soft copy is also attached.
4	As per Decision Support System (DSS) Analysis the area of CA shown in KML file of CA in Part-II shows the extent of area as 6.31 ha instead of 8.176 ha area proposed for CA. may upload KML file again showing the correct extent of area proposed for Ca. in addition out of total area of 8.176 ha proposed for CA, 4 ha is on moderately dense forest. State Govt may replace this 4 ha area with some other area suitable for CA and provide/upload revised digital map, SoI toposheet map and KML file of the complete 8.176 ha CA area again after making the above change.	Dence Forest Certificate attached in Additional Information . A soft copy is also attached.

5	The area having 0.4 density as mentioned in PartI but 0.4 density dose not account for very dense forest for which the State Govt. had calculated the NPV. State Govt. may correct the calculation of NPV.	The CA Patch is not in dense area for this Dence Forest Certificate attached in Additional Information . A soft copy is also attached.
6	Employment gereration detail furnished in on line Part I seems inappropriate. The State Govt. may review the data and correct data may fill in omn line Part I, if required.	Correction has been made in Part-I (E) in Employement Details
7	The copy of MOU signed between user agency and the present owner of the land proposed for CA uploaded in online Part- I at designated column is not opened. The State Govt may upload it again.	The copy of MOU signed between user agency and the present owner of the land proposed for CA is now uploaded in Part-I (L) & Additional Information. A soft copy is also attached.
8	Uploaded FRA in Part-I is not in prescribed format, please rectified accordingly.	Corrected FRA certificate has been uploaded in Part-I (K) & Additional Information. A soft copy is also attached.

सलंग्न – सूचना।

6.2.18
अधिशासी अभियन्ता
प्रां०खं० लो०नि०वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

सघन वन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम, पोल, सेरा ग्राम हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण के अन्तर्गत ग्राम [illegible] मैंकोट के खसरा संख्या 1877 मध्ये में दिया गया क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल सघन वन नही है।

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर [illegible]
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

8-2-18
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

[illegible]जना का नाम : जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में चमोली–पलेठी मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से गोलिम रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम वलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में चमोली पलेठी मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से गोलिम रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम वलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.92 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु [illegible] हे0 सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण मे सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है। एवं आदिम जनजाति / प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है। नही किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा / कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 3.92 हे0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

6.2.18

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

हस्ताक्षर प्रधान
16/08/15

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

आज दिनांक 25/03/2015 को ग्राम पंचायत गोलिम-रोपा की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं॰ 8.00 किमी॰) के निर्माण से कोई आपत्ति नही है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नही है।

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत गोलिम

PHOTOCOPY ATTESTED

6.2.18

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

आज दिनांक 11.3.15 को ग्राम पंचायत हरमनी की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों कों सिफोटी नामक तोक से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं॰ 8.00 किमी॰) के निर्माण से कोई आपत्ति नही है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नही है।

① केशर सिंह
② मदनसिंह
③ रजपालसिंह
④ मोहनसिंह

ग्राम पंचायत
बलमती
वि०ख० दशोली

PHOTOCOPY ATTESTED
AE

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत हरमनी
प्रधान
दिनांक 11.3.15
वि० ख० चमोली

6.2.18

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड, लोक निर्माण विभाग

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

आज दिनांक 13.3.15 को ग्राम पंचायत सिफोटी की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों कों सिफोटी नामक तोक से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं० 8.00 किमी०) के निर्माण से कोई आपत्ति नही है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं सरेखण से हमें कोई आपत्ति नही है।

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

ग्राम पंचायत
ह० [illegible]
दिनांक........
ग्राम प्रधान

वेलमती

PHOTOCOPY ATTESTED

6.2.18

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

(23)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

आज दिनांक 15.12.2016 को ग्राम पंचायत रोपा–वालवा की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों कों सिफोटी नामक तोक से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित ग्रान चलथर तक मोटर मार्ग (लं० 8.00 किमी०) के निर्माण से कोइ आपत्ति नही है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नही है।

ग्राम प्रधान

1 प्रमोद सिंह
2 विनोद सिंह
3.
4. देवेन्द्र सिंह
5. जगमोहन सिंह
6. दर्शन सिंह
7 मुकेश
8. पंकज सिंह
9
10 मोहन सिंह
11 बलदेव सिंह
12
13 ... सिंह
14 ... सिंह

Photocopy Attested

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

6.2.18

कि यो रोड को सर्व नोटिस से कालीमाटी तक हुई कि जिसमें की हमारे ग्राम सभा सेमदुई, सीरन वासी व कालीमाटी तथा रोपा-चलधार से आनेवाली रोड पर कोई ओपला नहीं लगा रहे हैं।

अत: महोदय जी से निवेदन है, की इस रोड के कार्य को जल्द से जल्द सुरु कर दिया जाने की कृपा कीजिए।

ग्राम प्रधान सेमदुई

ग्राम प्रधान रोपा-चलधार

(ह०) परान्ता देवी

ग्राम पंचायत सेमदुई * प्रधान * ह० [illegible] दि० [illegible] वि० ख० चमोली (चमोली)

1. [illegible] राजेश लाल
2. गजे [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. आशाराम
6. मुकन्दा लाल
7. [illegible] लाल
8. पुष्कर लाल
9. सतीश लाल
10. जगदीश लाल
11. [illegible]
12. प्रकाश [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]

21. [illegible]
22. जुबली देवी
23. शारदा देवी
24. Dinesh Prasad
25. सुनीता देवी
26. Arjun kumar
27. रामेश्वरी देवी
28. [illegible]
29. [illegible]
30. कपटा [illegible]
31. [illegible]

PHOTOCOPY ATTESTED AE

√ 6-2-16
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

परियोजना का नामः- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान [illegible] नामक तोक से ग्राम गोलिम पेल, रौता होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम [illegible] तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर [illegible] क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

जिलाधिकारी,
चमोली

6.2.18
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल उपयुक्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेटी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु .....8.176 है० ग्राम कुज्यौ मैकोट सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल है।

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेन्ज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

उपवन संरक्षक,
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

6.2.18
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर